UPMZ010036722026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No—1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी— (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

Criminal Revision/89/2026

पंकज पुत्र घासीराम, निवासी ग्राम खाईखेड़ी, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर।

—————————रिवीजनकर्ता।

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमीनल।

2. करमजीत शर्मा पुत्र श्री विधिचन्द शर्मा, निवासी ग्राम जिन्दावाला, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।

————————विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट्स।

निर्णय

1. यह दाण्ड़िक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0, संख्या—02, मुजफ्फरनगर द्वारा वाद सं0 1077/2012 राज्य बनाम पंकज, अन्तर्गत धारा 498 भा0दं0सं0, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2026 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी करमजीत शर्मा पुत्र विधि चन्द शर्मा द्वारा विपक्षीगण पंकज आदि के विरुद्ध थाना पुरकाजी पर धारा 498 के अन्तर्गत एन0सी0आर0 नं0 84/2011 पंजीकृत करायी गयी, जिसमें यह कथन किया गया है कि दिनांक 08.11.2011 को समय करीब 9 बजे सुबह पत्नी सोनो उर्फ सोनिया उर्फ सन्दीप के साथ पुरकाजी में सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। वह अपनी पत्नी को खादर तिराहे पर

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.07.03 16:30:08 IST
Reason: ORDER
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

छोड़कर मेड़िकल स्टोर से दवा लेने चला गया था। जब वह मेड़िकल स्टोर से वापस आया तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। काफी पता करने पर पता चला कि वह एक अज्ञात व्यक्ति के साथ उसकी कार में बैठकर रुड़की की तरफ चली गयी। उसने घर जाकर सामान चैक किया तो घर से 11,400/– रुपए नकद, दो सोने की अंगूठी, दो सोने की चैन, दो जोड़ी पाजेब, एक घड़ी व दो मोबाइल जिनके नम्बर क्रमशः 7830674030 व 8006203683 अपने साथ ले गयी।

3. एन0सी0आर0 में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/वादी की ओर से विपक्षीगण पंकज आदि के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराए जाने हेतु प्रार्थना की गयी, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.02.2012 के अनुसार एन0सी0आर0 में वर्णित कथनों का कथित घटना के संबधं में एन0सी0आर0 नं0 84/2011 अन्तर्गत धारा 498 भा0दं0सं0 पंजीकृत होने की स्थिति में पुनः उसी घटना के संबंध में मामला दर्ज कराना न्यायोचित नहीं होना पाते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर एन0सी0आर0 में जांच कराया जाना न्यायोचित पाया गया तथा संबंधित थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एन0सी0आर0 नं0 84/2011 अन्तर्गत धारा 498 भा0दं0सं0 में जांच कराए जाने हेतु आदेशित किया गया।

4. विवेचक द्वारा उपरोक्त एन0सी0आर0 में वादी का बयान लिया गया तथा घटनास्थल के आस–पास के लोगों से पूछताछ किए जाने के उपरान्त एन0सी0आर0 सं0 84/2011 में बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त पंकज कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2012 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को जरिए समन तलब किया गया, परन्तु अभियुक्त की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण दिनांक 08.02.2016 को उसके विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र 20,000 जारी किए जाने के अनुक्रम में दिनांक 13.03.2019 को अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए। इसके पश्चात पत्रावली में नियत की गयी कई तिथियों पर अभियुक्त उपस्थित नहीं आया तथा अग्रिम नियत दिनांक 10.01.2022 को अभियुक्त पंकज की

ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में किए गए कथन इस प्रकार है कि–एन0सी0आर0 पर विवेचना के आदेश पारित किए जाने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होने पर एन0बी0डब्लू0 जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी योजित करने का कथन करते हुए स्वयं के विरुद्ध जारी वारंट निरस्त करने की प्रार्थना की गयी, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध जारी एन0बी0डब्लू0 अविलम्ब न्यायालय को बिना तामील वापस भेजना सुनिश्चित करने के संबंध में थानाध्यक्ष, थाना पुरकाजी को आदेशित करते हुए यह निष्कर्षित किया गया कि–''पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण में प्रार्थनापत्र 156(3) द०प्र०सं० में अन्तर्गत दिया गया था, जिस पर आदेश के समय यह पाया गया कि उक्त घटना के सम्बन्ध में पूर्व से एन०सी०आर० संख्या 84 सन 2011 थाने पर पंजीकृत है। अतः न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 13.02.2012 को प्रार्थनापत्र 156(3) द०प्र०सं० में वर्णित तथ्यों के आधार पर एन०सी०आर० 84 सन 2011 अन्तर्गत धारा 498 भा०द०सं० में जांच कराए जाने के आदेश पारित किये गये। जांच के उपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08–06–2012 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। पत्रावली पर अभियुक्त के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गैर जमानतीय वारण्ट दिनांक 13–03–2019 को न्यायालय द्वारा जारी किये गये है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि 155(2) द०प्र०सं० के अन्तर्गत धारा 498 भा०द०सं० की विवेचना पुलिस द्वारा नहीं कराई जा सकती, सिर्फ वादी द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद ही योजित किया जा सकता है।''

5. पत्रावली में संलग्न आदेश पत्रक के अनुसार, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.02.2026 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन किया गया कि न्यायालय द्वारा धारा 498 भा0दं0सं0 पर गलत प्रसंज्ञान लिया गया है तथा उक्त के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित विधि–व्यवस्था भी दाखिल की गयी है। अभियुक्त को सुनने के पश्चात आदेश हेतु दिनांक 16.02.2026 नियत की गयी। दिनांक 16.02.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पत्र का अवलोकन करने पर दिनांक 08.11.2011 को घटित घटना की बाबत थाना

पुरकाजी पर एन0सी0आर0 पंजीकृत होना तथा दिनांक 31.01.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर पारित आदेश दिनांकित 13.02.2012 के क्रम में दिनांक 25.02.2012 को विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 30.02.2012 को प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान दिनांकित 08.06.2012 की बाबत स्पष्ट होना पाया गया तथा यह निष्कर्षित किया गया कि–"It appears that the accused's counsel didn't raise any objections when cognizance was taken on 08/06/12, nor did they file a revision against it. Even after the order dated 10/01/2022, no revision was filed challenging the cógnizance taken u/s 498 IPC. It seems the accused is attempting to delay the proceedings. The applicant hasn't filed any application regarding this matter in this court. this court lacks the power to revise its own order dated 08/06/2012. The accused's argument to quash the cognizance order dated 08/06/12 on this ground is liable to be rejected. File to be fixed for hearing on 15/04/2026."

6. उक्त वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.02.2026 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्ड़िक निगरानी योजित की गयी है।

7. संक्षेप में प्रस्तुत निगरानी के आधार इस प्रकार है कि प्रश्नगत आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः गलत, विधिविरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय तथ्य एवं विधि की भूल करके गम्भीर त्रुटि कारित की गयी है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के विरूद्ध विपक्षी/रैस्पोन्डेन्टस द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156(3) सीआर०पी०सी० प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई के समय थाने से आख्या आहुत की गयी, जिस पर थाना हाजा से रिपोर्ट आयी कि उक्त प्रकरण पर थाना हाजा मे एन०सी०आर० नम्बर 84 सन् 2011 अर्न्तगत धारा 498 आई०पी०सी० पंजीकृत है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि ''सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णीत तथ्यों के आधार पर धारा 155(2) सीआर०पी०सी० के अर्न्तगत उक्त एन०सी०आर० नम्बर 84 सन् 2011 धारा 498 आई०पी०सी० में जांच कराना सुनिश्चित करे।'' विचारण

न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.02.2012 के अनुपालन में पुलिस थाना पुरकाजी द्वारा जांच कर प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 498 आई०पी०सी० में विचारण न्यायालय मे प्रेषित कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2012 को आरोप पत्र पर पूर्णतः विधि विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रार्थी/रिवीजनकर्ता लगातार न्यायालय में हाजिर आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा लगातार पत्रावली सुनवाई में चलाई जा रही है तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रिवीजनकर्ता पर ही विचारण लम्बित रखने का आरोप लगाते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया है तथा पत्रावली को पुनः सुनवाई में लगा दिया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 498 आई०पी०सी० मे कोई पुलिस रिपोर्ट अथवा जांच नही की जा सकती है। धारा 498 आई०पी०सी० में मात्र पीडित द्वारा न्यायालय मे परिवाद योजित किया जा सकता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2012 को उक्त एन०सी०आर० नम्बर 84 सन् 2011 धारा 498 आई०पी०सी० मे जांच कराने के आदेश पारित करना पूर्णतः विधि विरूद्ध है तथा जांच के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाना पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.02.2012, 08.06.2012 एवं 16.02.2026 निरस्त किए जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

8. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी के समर्थन में न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0, संख्या–02, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांकित 16.02.2026 की सत्य प्रतिलिपि 5ख/1 ता 5ख/2 दाखिल की गयी है।

9. निगरानीकर्ता की ओर से अपनी निगरानी के समर्थन में निम्नलिखित निर्णय/आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी हैः–

(i) Shaqeel Ahmad v. State of U.P. & Anr. [2019(3) JIC 650 (All)]

10. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

11. इस संबंध में यहां सर्वप्रथम दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 198 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त धारा के अनुसार–

198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन–(1) कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु–

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग–शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी स्त्री है जो स्थानीय रुड़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है;

(ख) जहां ऐसा व्यक्ति पति है, और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिनके बारे में उसके कमान आफिसर ने यह प्रमाणित किया है कि उनके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है;

(ग) जहां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 494 या धारा 495, के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहिन द्वारा {या न्यायालय की इजाजत से, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है,} परिवाद किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उक्त संहिता की धारा 497 या धारा 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा :

परंतु पति की अनुपस्थिति में, कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस समय जब ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री के पति की ओर से उसकी देख–रेख कर रहा था उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है।

12. पत्रावली के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2012, 08.06.2012 एवं 16.02.2026 को चुनौती दी गयी है, यद्यपि निगरानी पत्र के साथ केवल आदेश दिनांक 16.02.2026 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गयी है, तथापि मूल विचारण अभिलेख तलब कर उसके सम्यक् परीक्षण से यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि दिनांक 13.02.2012 को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश द्वारा पूर्व से पंजीकृत एन०सी०आर० संख्या–84 / 2011, धारा 498 भा०द०सं० में धारा 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस विवेचना कराये जाने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा उस आरोप पत्र पर दिनांक 08.06.2012 को विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान ग्रहण किया गया।

13. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498, जो अध्याय–XX (विवाह सम्बन्धी अपराध) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, उसमें पुलिस विवेचना के उपरान्त प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान ग्रहण किया जाना विधिसम्मत था अथवा नहीं।

14. इस सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 का अवलोकन आवश्यक है। उक्त धारा स्पष्ट एवं अनिवार्य शब्दों में उपबन्धित करती है कि अध्याय–XX भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराधों का संज्ञान न्यायालय केवल ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति अथवा विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही ले सकता है, अन्यथा नहीं। धारा 198 दं0प्र0सं0 में प्रयुक्त शब्द "No Court shall take cognizance.... except upon a complaint....." निषेधात्मक एवं अनिवार्य (Mandatory) प्रकृति के हैं। अतः उक्त प्रावधान न्यायालय की अधिकारिता (Jurisdiction) पर वैधानिक प्रतिबन्ध अधिरोपित करता है तथा इसका अनुपालन अनिवार्य है। निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निर्णय विधि Shaqeel Ahmad v. State of U.P. & Anr. [2019(3) JIC 650 (All)] में यह अवधारित किया गया है कि–"Penal Code,

1860, Section 498-Criminal Procedure Code, 1973, Sec-tions 482 and 198(1)(2) and 2(d)-Quashing of cognizance order arising out of charge-sheet - Offence under Section 498, IPC is a non-cognizable offence-Section 198(1) and (2), Cr.P.C. bars the taking of cognizance on police report-Cognizance can be taken only on complaint made by aggrieved per-son-Hence, order taking cognizance of offence on charge-sheet is illegal-Criminal proceeding quashed-Application allowed."

15. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करते हुए, जबकि घटना के सम्बन्ध में पूर्व से एन०सी०आर० पंजीकृत थी, पुलिस को धारा 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विवेचना कराने का निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा उसी पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ग्रहण कर लिया गया। जबकि धारा 198 दण्ड प्रक्रिया संहिता का स्पष्ट विधिक आशय यह है कि ऐसे अपराध में न्यायालय का संज्ञान केवल विधिवत प्रस्तुत परिवाद पर ही आधारित हो सकता है। अतः पुलिस रिपोर्ट अथवा आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान ग्रहण करना विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से परे है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **दौलत राम बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 1962 एस0सी0 1206** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि–''जहाँ किसी विशेष अधिनियम अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा संज्ञान ग्रहण करने के लिए पूर्व शर्त (Condition Precedent) निर्धारित की गयी हो, वहाँ उस शर्त का अनुपालन न होने पर न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया संज्ञान अधिकारिता–विहीन (Without Jurisdiction) होता है तथा ऐसी त्रुटि मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता न होकर न्यायालय की मूल अधिकारिता को प्रभावित करती है।''

17. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **सी0आर0 बंसी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1970) 3 एस0सी0सी0 537** के प्रकण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–''जहाँ विधि किसी विशेष प्रकार से संज्ञान ग्रहण करने का उपबन्ध करती है, वहाँ उस प्रक्रिया से हटकर ग्रहण किया गया संज्ञान विधि की दृष्टि में अवैध होता है तथा न्यायालय ऐसे दोषपूर्ण संज्ञान के आधार पर विचारण संचालित नहीं कर सकता।''

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **एम0एल0 सेठी बनाम आर0पी0 कपूर ए0आई0आर0 1967 एस0सी0 528** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि–''जब किसी न्यायालय के समक्ष अधिकारिता का अभाव हो, तब उस न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक दृष्टि से टिकाऊ नहीं माना जा सकता।'''

19. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.02.2026 के प्रश्नगत आदेश में यह मुख्य आधार ग्रहण किया कि अभियुक्त द्वारा वर्ष 2012 में लिये गये संज्ञान आदेश के विरुद्ध तत्काल कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः अब उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। किन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि संज्ञान आदेश स्वयं अधिकारिता के अभाव में पारित हुआ हो तो मात्र समय व्यतीत हो जाने अथवा पूर्व में चुनौती न दिये जाने से वह आदेश वैध नहीं हो जाता। अधिकारिता का अभाव किसी भी अवस्था में न्यायालय के संज्ञान में लाया जा सकता है।

20. इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा धारा 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस विवेचना कराये जाने का आदेश दिनांक 13.02.2012, उसके अनुपालन में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर दिनांक 08.06.2012 को संज्ञान ग्रहण किया जाना तथा उक्त विधिक आपत्ति को अस्वीकार करते हुए दिनांक 16.02.2026 को पारित आदेश, तीनों ही धारा 198 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के प्रतिकूल एवं विधि–विरुद्ध प्रतीत होते हैं। विचारण न्यायालय ने अधिकारिता सम्बन्धी मूल विधिक प्रश्न का परीक्षण किये बिना मात्र इस आधार पर आपत्ति अस्वीकार कर दी कि पूर्व में संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गयी थी, जो विधिसम्मत दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता।

21. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0, संख्या–02, मुजफ्फरनगर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.02.2026 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने एवं प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–89 सन् 2026, पंकज बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0) / एफ0टी0सी0, संख्या–02, मुजफ्फरनगर द्वारा वाद सं0 1077 / 2012 में पारित आदेश दिनांकित 16.02.2026 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दाण्डिक निगरानी में निकाले गए निष्कर्ष के प्रकाश में वाद सं0 1077 / 2012, एन0सी0आर0 संख्या 84 / 2011, राज्य बनाम पंकज, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498 भा0दं0सं0 पर प्रसंज्ञान लिए जाने के संबंध में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक **30.07.2026** को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, मुजफफरनगर।

दिनांकः–03.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–01, मुजफफरनगर।

दिनांकः–03.07.2026